राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2715522 E-mail: modelschoolest@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प. / जय / मॉडल स्कूल / प्रवेश प्रक्रिया–170–II / 2512 दिनांक : 16/08/2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, संबंधित जिले।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, संबंधित जिले।

विषय :–सत्र 2021–22 के लिए स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की कक्षा–11 में प्रवेश के संबंध में।

संदर्भः– राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग का पत्र क्रमांक प. 4 (5) शिक्षा–1 / 2015 दिनांक 30.03.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2021–22 में राज्य में संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में कक्षा–11 में विज्ञान संकाय में शत् प्रतिशत प्रवेश हेतु कक्षा–10 में समेकित प्राप्तांक तथा संबंधित विषय के प्राप्तांक में निम्नानुसार छूट देते हुए प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

क्र. स.	सीबीएसई से संबद्ध स्कूल / मॉडल स्कूल / अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध स्कूल	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित संकाय / जीव विज्ञान संकाय के लिए समेकित प्राप्तांक	समेकित संशोधित न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत में)	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित / जीव विज्ञान संकाय के लिए संबंधित विषय के प्राप्तांक	संबंधित संकाय (गणित / जीव विज्ञान) संशोधित न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत में)
1	मॉडल स्कूल हेतु	7.0 सीजीपीए (66.5%)	50%	61 से 70% (B2ग्रेड)	55%
2	मा. शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	66.50 प्रतिशत	50%	65%	55%
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड	7.6 सीजीपीए / 72.2 प्रतिशत	55%	71 से 80% (B1ग्रेड)	60%

- सत्र 2021–22 में राज्य में संचालित 134 मॉडल स्कूलों में कक्षा–11 में रिक्त सीटों पर प्रवेश जिला स्तर पर गठित प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

1.	मॉडल विद्यालयों में कक्षा–11 में रिक्त सीटों पर पात्र आवेदकों से प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:	23 अगस्त, .2021
2	चयनित आवेदकों की सूची जारी करना	:	25 अगस्त, 2021
3	चयनित आवेदकों से समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर प्रवेश दिया जाना	:	28 अगस्त, 2021

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि मॉडल विद्यालयों के वे विद्यार्थी जो कि उक्तानुसार छूट प्राप्त होने पर केवल रिक्त सीटों के विरूद्ध आवेदन करते हैं, तो उपर्युक्तानुसार शिथिलन पश्चात् पात्र होने पर प्रवेश में उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी। तत्पश्चात् अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जा सकेंगे।

मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश नीति में संशोधन के अनुसार 'संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश (संलग्न) दिया जावे। रिक्त सीट होने की स्थिति में शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

अतः तद्नुसार पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :— उपरोक्तनुसार

(सना सिद्दीकी)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, रास्कूशिप, जयपुर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त संबधित ब्लॉक्स को देकर लेख है कि उक्तानुसार कक्षा–11 में शत् प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त किया जावे।
4. संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, संबंधित ब्लॉक, उक्तानुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही कर कक्षा–11 में शत् प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त करें।
5. कार्यक्रम अधिकारी, समसा, संबंधित जिले।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त–प्रथम

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः 4(15)शिक्षा–1/मॉ.स्कूल 2017 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 17.6.2021

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर।

विषयः– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत्।

प्रसंगः– पत्रांकःरा.स्कूल शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/ई.सी.जी.सी./75039–II/19872 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा–6, 9, व 11 में प्रवेश में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, के स्थान पर प्रवेश नीति में "संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे", संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

17.06.2021
(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव,प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।

17.6.21
(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी–शिक्षा

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 4(15)शिक्षा–1/ 2015 **जयपुर, दिनांकः–** 30.3.17

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषयः– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 11 के लिए प्रवेश नीति के क्रम में।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/ प्रवेश प्रक्रिया–170/404 दिनांक 19.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सत्र 2017–18 से स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 11 से विज्ञान संकाय में प्रवेश दिये जाने के लिए प्रवेश नीति निम्नानुसार रहेगी :–

1.0 प्रवेश समितिः – कक्षा 11 से प्रवेश प्रक्रिया हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है –

i. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिलापरियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद – अध्यक्ष

ii. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद – सदस्य

iii. संबंधित संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल – सदस्य

iv. कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद – सदस्य सचिव

2.0 प्रवेश प्रक्रिया –

2.1. कक्षा 11 के विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए सभी आवेदकों द्वारा कक्षा 10 में सीबीएसई व अन्य बोर्ड परीक्षा में प्राप्त सीजीपीए/प्रतिशतता के आधार पर तैयार योग्यता सूची (Merit List) के आधार पर प्रवेश देय होंगे।

2.2. विज्ञान वर्ग हेतु कक्षा 11 में कुल 80 सीटें निर्धारित हैं।

i. सेक्शन 'ए' में गणित विषय की 40 सीटें रहेंगी।

ii. सेक्शन 'बी' में गणित एवं जीव विज्ञान विषय की 40 सीटें रहेंगी।

2.3. आदेश संख्या 4(15)शिक्षा–1/2008 पार्ट दिनांक 09.04.2015 एवं 30.06.2015 के अनुसार सुपर न्यूमेरेरी सीटों का प्रावधान बिन्दु संख्या 2.2 में वर्णित सीटों के अतिरिक्त रहेगा।

2.4. मॉडल स्कूल में कक्षा 11 में असफल/अनुतीर्ण रहे विद्यार्थियों को अगले सत्र में प्रवेश हेतु सीटों की गणना अधिकतम निर्धारित 80 सीटों के अन्तर्गत ही की जायेगी।

2.5. लगातार दो सत्र तक असफल/अनुतीर्ण रहे विद्यार्थी मॉडल स्कूल में नियमित अध्ययन के पात्र नहीं होंगे।

2.6. **प्रवेश में आरक्षण में प्रावधान निम्नानुसार होंगे –**

i. राज्य के टी.एस.पी. क्षेत्रों एवं बांरा जिले के अतिरिक्त अन्य ब्लॉक्स में प्रवेश योग्य सीटों में से अनुसूचित जाति हेतु– 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु–12 प्रतिशत, पिछडा वर्ग हेतु–21 प्रतिशत एवं विशेष पिछडा वर्ग हेतु–1 प्रतिशत, आरक्षित होगी एवं शेष 50 प्रतिशत सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

ii. टी.एस.पी. एरिया के सम्बन्धित ब्लॉक्स में आरक्षण राज्य सरकार के मापदण्डानुसार अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत होगा एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जायेगी।

iii. बारां जिले के समस्त ब्लॉक्स में सीटों हेतु अनुसूचित जाति हेतु 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 6 प्रतिशत, पिछडा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत, विशेष पिछडा वर्ग हेतु 1 प्रतिशत, सहरिया वर्ग हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित होगी, एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्गो से भरी जायेगी।

iv. प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम 55 प्रतिशत सीटें छात्राओं हेतु एवं 3 प्रतिशत सीटें निःशक्तजन एवं ट्रांसजेण्डर के लिए आरक्षित होंगी।

v. प्रवेश हेतु यदि किसी वर्ग में 55 प्रतिशत छात्राऐं उपलब्ध नहीं होती है तो शेष सीटें उसी वर्ग के छात्रों से भरी जावेगी। इसी प्रकार 3 प्रतिशत निःशक्तजन एवं ट्रांसजेण्डर उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीट उसी वर्ग के छात्र–छात्राओं से भरी जावेगी।

vi. किसी वर्ग हेतु निर्धारित सीटों के लिए उस वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष सीट अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त आरक्षण प्रावधान समस्त 80 सीटों पर नियमुनसार लागू होंगे न कि केवल रिक्त सीटों पर।
2. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

2.7. मेरिट लिस्ट तैयार करते समय निम्नांकित रियायतें लागू की जायेगी –

विभिन्न स्तरों पर खेलकूद/स्काउटिंग–गाईडिंग/एनसीसी एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को निम्नानुसार रियायतें देय होगी। इसके लिए प्रमाण पत्र पूर्व के किसी भी वर्ष का हो सकता है :–

क्र. सं.	**खेलकूद**	**स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल का विज्ञान मेला/सा. विज्ञान मेला/Art craft व वाद विवाद/अन्य**	**एनसीसी 'ए' प्रमाण पत्र**	**स्काउटिंग गाईडिंग**	**अन्य राष्ट्रीय स्तर की राजकीय प्रतियोगिताएं**	**अंकों/ग्रेड पोइंट्स में छूट**
1	राष्ट्रीय स्तर विजेता/सहभागिता	राष्ट्रीय स्तर विजेता/सहभागिता	गणतंत्र दिवस परेड/प्रधानमंत्री रैली में प्रतिभागी	राष्ट्रपति पुरस्कार	विजेता/सहभागिता	सीजीपीए में 0.8 अंक अथवा प्रतिशत में 7.6 %
2	राज्य स्तर विजेता/उप विजेता	राज्य स्तर विजेता/उप विजेता	राज्य/जिला स्तर पर श्रेष्ठ केडेट	7 दक्षता बैज के साथ राज्य पुरस्कार	राज्य स्तर विजेता/उप विजेता	सीजीपीए में 0.6 अंक अथवा 5.7%
3	जिला स्तर विजेता	जिला स्तर विजेता	'ए' प्रमाण पत्र धारिता	5 दक्षता बैज के साथ तृतीय सोपान प्रमाण पत्र	जिला स्तर विजेता	सीजीपीए में 0.2 अंक अथवा 1.9 %

2.8. अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थी ने एक ही समान सीजीपीए प्राप्त किया है तो ऐसे अभ्यार्थियों की आपस में योग्यता को निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :–

i. गणित/ जीव विज्ञान में प्रवेश के लिए जिस अभ्यर्थी ने क्रमशः गणित/जीव विज्ञान में अधिक ग्रेड पोईट प्राप्त किये हो उसे प्रवेश में प्राथमिकता दी जाावेगी।

ii. अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थी के गणित/जीव विज्ञान के ग्रेड पोईट में टाई होता है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।

2.9. उपर्युक्त सारणी में वर्णित सभी वर्गों के अन्तर्गत अधिकतम छूट 0.8 सीजीपीए (7.6 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी तथा विभिन्न गतिविधियों में एक से अधिक छूट की अर्हता रखने की स्थिति में अभ्यर्थी को अधिकतम अंक वाली एक ही छूट का लाभ देय होगा।

टिप्पणी :– उपर्युक्त रियायतें प्रवेश के समय मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को भी समान रूप से देय है।

3.0 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 10 में न्यूनतम प्राप्तांक :–

क्र. सं.	सीबीएसई से संबद्ध स्कूल / मॉडल स्कूल / अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध स्कूल	गणित संकाय के लिए		जीव विज्ञान संकाय के लिए	
		समेकित	गणित	समेकित	विज्ञान
1	मॉडल स्कूल हेतु	7.0 सीजीपीए	B_2 ग्रेड (61-70%)	7.0 सीजीपीए	B_2 ग्रेड (61-70%)
2	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर	66.5 प्रतिशत	65 प्रतिशत	66.5 प्रतिशत	65 प्रतिशत
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड	7.6 सीजीपीए / 72.2 प्रतिशत	B_1 ग्रेड (71-80%)	7.6 सीजीपीए / 72.2%	B_1 ग्रेड (71-80%)

नोट : सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तन = CGPAx9.5
= ....%

3.1 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को 11वी विज्ञान में प्रवेश के लिए 0.4 तक सीजीपीए में ग्रेड / अपग्रेड अथवा 3.8 प्रतिशत अपग्रेड किया जायेगा।

3.2 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में अध्ययनरत 10वीं उतीर्ण विद्यार्थी जिन्होंने न्यूनतम अर्हता प्राप्त की है वे समस्त विद्यार्थी कक्षा 11 में प्रवेश के पात्र होंगे। उसके पश्चात् शेष सीटों पर प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार कर प्रवेश दिये जा सकेंगे।

4.0 जिला स्तरीय समिति द्वारा ही ब्लॉकवार रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की जावेगी एवं समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

5.0 प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र प्रवेश–प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक कार्यालय में जमा नहीं करवाने पर अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। समस्त दस्तावेज / प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार ही मान्य होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

प्रवेश हेतु समयबद्ध कलैण्डर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के स्तर से निर्धारित कर जारी किया जावेगा। अतः तदनुसार स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु वर्ष 2017–18 से प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी।

अतः स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों कक्षा 11 के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित प्रवेश नीति का अनुमोदन किया जाता है।

भवदीय,

(आर.एस. झालानी)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. रक्षित पत्रावली।

30.3.17

(बी.के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी–शिक्षा